WDT-2

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई–3)आईडब्ल्यूएमपी/2009–10/3016-334 दिनांक : 5-9-10

परिपत्र

विभाग के ध्यान में आया है कि विभिन्न जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारियों द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं हेतु जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के आवेदन, जलग्रहण क्षेत्रों के सर्वेक्षण, डी.पी.आर. तैयार करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन) एवं पंचायत समिति स्तर पर पी.आई.ए. विभाग का सहायक अभियन्ता तथा विभाग का सहायक अभियन्ता पदस्थापित नहीं होने पर नरेगा अन्तर्गत पदस्थापित विभाग के सहायक अभियन्ता को ही अधिकृत एवं उत्तरदायी बनाया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है।

विभाग के पत्र क्रमांक एफ.19(123)निजरूल/एमओएपी/2009–10/ 2376–2587 दिनांक 10.12.2009 द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं हेतु केवल जलग्रहण विकास दल गठन के ही निर्देश दिये गये है। जलग्रहण परियोजनाओं के सर्वेक्षण, डी.पी.आर. आदि तैयार करने हेतु विज्ञापन जारी करने के निर्देश विभाग द्वारा जारी नही किये गये।

अतः निर्देश दिये जाते है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर बिना विभाग की अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं किये जावें एवं समस्त कार्यवाही केवल परियोजना प्रबन्धक एवं पी.आई.ए. स्तर से ही किया जाना सुनिश्चित करे।

शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक : एफ.18(आई–3)आईडब्ल्यूएमपी/2009–10/3316-334 दिनांक : 5-9-10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
5. समस्त उपनिदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक (डी.डब्ल्यू.डी.यू.), जिला परिषद (समस्त)
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
8. सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति (समस्त)

शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग